न्यायालय सभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–82/15 (जीसीएमएस नं. 2015/00180)

01. देवप्रकाश मीना पुत्र श्री पांचूराम जाति मीना, निवासी प्लॉट नम्बर ए–39, प्रेम कॉलोनी, मीना नर्सरी, सूर्य नगर, तारों की कूँट, टोंक रोड़,तहसील व जिला जयपुर।
02 श्रीमती धापूदेवी धर्मपत्नी श्री जगदीश नारायण, जाति मीना प्लॉट नम्बर 35, मानसागर कॉलोनी बुद्धसिंहपुरा, जयपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
03. श्रीमती गोपीदेवी धर्मपत्नी श्री शंकरलाल, जाति मीना निवासी ग्राम बाढ़महादेवपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—–अपीलान्ट्स,

बनाम

01. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
04. श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर पंजीयन संख्या 290/एल जरिये श्री नन्दकिशोर मित्तल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति महाजन, निवासी पी.एच. 24, चमन बाडी कांटा, कालवाड़ रोड़ झोटवाडा, जयपुर।
05. भगवाना पुत्र ठाकरिया,
06. जयनारायण पुत्र रामसहाय,
07. जगदशी पुत्र रामसहाय,
08. भैरू पुत्र गुल्ला,
09. भौरिया पुत्र गुल्ला,
10. बिरधा पुत्र भौरिया,
11. मन्ना पुत्र भौरिया,
12. मांग्या पुत्र भौरिया,
13. श्रवण पुत्र सीताराम,
14. मु0 फूली बेवा सीताराम,
15. सुक्खा पुत्र नन्दा,
16. हीरा पुत्र चन्दा,
17. काना पुत्र चन्दा,
18. पांचू पुत्र किशना,
19. नानू पुत्र किशना,
20. रामू पुत्र किशना,
21. सुक्खा पुत्र चन्दा,
22. हीरा पुत्र चन्दा,
23. जगदीश पुत्र काना,
24. अर्जुन पुत्र काना,

P.T.O.

25. जयनारायण पुत्र काना,
26. मु0 मन्नी बेवा काना,
27. रेवड़ पुत्र पांचू,
28. शंकर पुत्र पांचू,
29. छोटू पुत्र पांचू,
30. श्रीनारायण पुत्र पांचू,
31. गोपाल पुत्र रामचन्द,
32. मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र,
33. दाना पुत्र भौंरीलाल, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बास बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
34. प्रशासन महावीर गृह निमार्ण सहकारी समिति जरिये रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर शहर जयपुर।

अपील संख्याः—83/15 (जीसीएमएस नं. 2015/00181)

01. हरिप्रकाश,
02. सूरजप्रकाश पुत्रान श्री देवप्रकाश मीना, निवासी प्लॉट नम्बर ए—39, प्रेम कॉलोनी, मीना नर्सरी, सूर्य नगर, तारों की कूंट, टोंक रोड़, तहसील व जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स,

बनाम

01. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. श्री महावीर स्वामी गृह निमार्ण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर पंजीयन संख्या 290/एल जरिये श्री नन्दकिशोर मित्तल पुत्र श्री भंवरलाल, जाति महाजन, निवासी पी.एच. 24, चमन बाडी कांटा, कालवाड़ रोड़ झोटवाडा, जयपुर।
5. भगवाना पुत्र ठाकरिया,
6. जयनारायण पुत्र रामसहाय,
7. जगदीश पुत्र रामसहाय,
8. भैरू पुत्र गुल्ला,
9. भौरिया पुत्र गुल्ला,
10. बिरधा पुत्र भौरिया,
11. मन्ना पुत्र भौरिया,
12. मांग्या पुत्र भौरिया,
13. श्रवण पुत्र सीताराम,
14. मु0 फूली बेवा सीताराम,
15. सुक्खा पुत्र नन्दा,
16. हीरा पुत्र चन्दा,
17. काना पुत्र चन्दा,

P.T.O.

18. पांचू पुत्र किशना,
19. नानू पुत्र किशना,
20. रामू पुत्र किशना,
21. सुक्खा पुत्र चन्दा,
22. हीरा पुत्र चन्दा,
23. जगदीश पुत्र काना,
24. अर्जुन पुत्र काना,
25. जयनारायण पुत्र काना,
26. मु0 मन्नी बेवा काना,
27. रेवड़ पुत्र पांचू,
28. शंकर पुत्र पांचू,
29. छोटू पुत्र पांचू,
30. श्रीनारायण पुत्र पांचू,
31. गोपाल पुत्र रामचन्द,
32. मूलचन्द पुत्र रामचन्द्र,
33. दाना पुत्र भौंरीलाल, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बास बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
34. प्रशासन महावीर गृह निमार्ण सहकारी समिति जरिये रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर शहर जयपुर।

——अप्रार्थीगण / विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 01.03.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2007 विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी (7) के तहत प्रस्तुत की गई।

संक्षिप्त से अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी, जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2007 को विधि विरूद्ध बताते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष पूर्व में अपील संख्या 89/2007 एवं 90/2007 प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 16.12.2008 को अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी को रिमाण्ड किया गया जिसे विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष रिविजन प्रस्तुत होने पर राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.08.2020 के द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि परिशिष्ठ संख्या ए" में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी एव उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास

P.T.O.

प्राधिकरण जयपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त कृषि भूमि को उसके खातेदारों ने जरिये इकरारनामा श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से उसके सदस्यों को अकृषि प्रयोजनाथ हस्तान्तरित कर दिया है और मौके पर उक्त कृषि भूमि अकृषि प्रयोजन में काम आ रही है इसलिये उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित कर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का पर्यावसन कर इसे राजहित में पुर्नगृहित किये जाने का आदेश फरमाया जावें, उक्त संदर्भ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर एक सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दिनांक 17.05.2007 को दैनिक नवज्योति व महका भारत में किये जाने पर दिनांक 23.05.2007 को अपीलार्थीगण ने एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह जाहिर किया कि उन्होने पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा विभिन्न भूमियों को खातेदारों से क्रय कर ली है और उस पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग किया जा रहा है, उक्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ कोई उपयोग नही किया गया इसलिये धारा 90(बी) के अर्न्तगत प्रारम्भ की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलार्थीगण ने दिनांक 30.05. 2007 को जमाबन्दी एवं विक्रय पत्रों की प्रतिलिपियॉं प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि के सम्बन्ध में धारा 90(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है उन्हे अपीलार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर लिया है जिन विक्रय पत्रों की प्रतियॉं भी प्रस्तुत कर रहे और उनके आधार पर जो नामान्तरकरण तस्दीक हुए तथा जमाबन्दीयों में इन्द्राजात हुऐ है उनकी प्रतियॉं भी संलग्न कर रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 7 दिवस का समय दिया जावें तथा तब तक उक्त प्रकरण को स्थगित रखा जावें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त जान–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने अपीलार्थीगण को आगामी कार्यवाही की सूचना दिये बिना ही दिनांक 27.06.2007 को अपीलाधीन निर्णय पारित फरमा दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के पूर्व खातेदार कृषक प्रारूपिक रेस्पाडेन्ट संख्या 5 लगायत 33 मीना जाति के व्यक्ति है जो अनुसूचित जनजाति के है और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि ना तो किसी गृह निर्माण सहकारी समिति को हस्तांतरित की जा कसती है और ना ही ऐसे किसी इकरारनामें से भूमि विवादग्रस्त कोई हस्तांतरण श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में किया जाना सकता है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित राजस्थान काश्तकारो अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन किया है जो निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने भूमि विवादग्रस्त के पूर्व खातेदारों को समिति द्वारा तथाकथित विक्रय राशि का भुगतान कर दिये जाने के सम्बन्ध में जो रसीदात प्रस्तुत की है वे कतई

P.T.O.

फर्जी एवं कूटरचित है इससे भी स्पष्ट होता है कि उक्त रसीदात पर राशि भुगतान किये जाने बाबत 1/-- एक रूपये के रेवेन्यू टिकिट पर खातेदारों द्वारा तथाकथित अंगूठा निशानी कर दिया जाना व्यक्त किया गया है जबकि राजस्थान राज्य सरकार ने दिनांक 13.05.1994 से ही इण्डिन स्टाम्प्स एक्ट के परिशिष्ठ 53 में रसीदात पर 20 पैसे के स्थान पर 1/—रूपये प्रतिस्थापित किये जाने की अधिसूचना प्रकाशित की है, इस प्रकार दिनांक 13.05.1994 से पूर्व रेवेन्यू टिकिट मात्र 20 पैसे के ही उपलब्ध थे और 1/--रूपये के रेवेन्यू टिकिट उपलब्ध ही नही थे जिन्हे रसीदात पर चष्पा किया जा सकता हो परन्तु समिति द्वारा जो रसीदात प्रस्तुत की गई है उनमें दिनांक 13.05.994 से पूर्व ही 1/—रूपये के रेवेन्यू टिकिट पर रसीदात तहरीर कर दिया जाना जाहिर किया गया है, जो कूटरचित होना संदेह के बाहर स्पष्ट है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके वास्तविकता एवं वैधानिकता पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2007 पारित किया गया है जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में गह अंकित ही नही किया है कि कौनसे खसरा नम्बरान की भूमि को किस व्यक्ति के तथा किस प्रकार अकृषि कार्य हेतु उपयोग किया है बल्कि न्यायालय ने मात्र एक पंक्ति में यह अंकित करते हुए कि प्रश्नगत भूमि में मौके पर सड़क, बाउण्ड्रीवाल आदि बनी हुई यह मानते हुए कि प्रश्नगत भूमि का गैर कृषि उपयोग हो चुका है, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट्स की दोनों अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2007 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2007 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2007 के आदेश प्रकरण संख्या 183/2001 उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र व अन्य अन्तर्गत धारा 90 (बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है जो अपील सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 33 तक के सभी खातेदारों ने पूर्व में अपनी खातेदारी की जमीन सन् 1990 में जरिये इकरारनामा श्री महावीर गृह निमार्ण सहकारी समिति लि0 को बेचान कर दी थी और सहकारी समिति के पक्ष में बेचान कर कब्जा सहकारी समिति को उसी समय संभला दिया था जिसके उपरान्त सहकारी समिति ने अपनी सहकारी समिति के सभी सदस्यों को भूखण्ड आवंटन कर दिये थे और

P.T.O.

समिति के सभी सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन पत्र साईट प्लान व रसीद सभी भूखण्डधारियों को सहकारी समिति द्वारा अदा कर दिये थे और समिति के सभी सदस्यों ने अपने भूखण्डों पर डण्डे बना दिये थे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि सहकारी समिति ने सम्पूर्ण जमीन जो खातेदारों से खरीद गई थी जिसका समस्त रिकार्ड जरिये प्रशासक समिति पर नियुक्त प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार ग्रामीण सहकारिता विभाग जयपुर राजस्थान के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में सन् 1999 को पेश कर दिया था व योजना का साईट प्लान व समिति के सदस्यों की सूची भी जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश कर दी थी और जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने नियमों के अनुसार सर्वेक्षण करके श्री महावीर नगर गृह निमार्ण सहकारी समिति जयपुर के रिकार्ड के अनुसार खातेदारों की जमीन की कृषि भूमि का रूपान्तरकरण 90(बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवासीय में रूपान्तरकरण करने की कार्यवाही सन् 1999 से शुरू कर दी थी जो आदेश दिनांक 27.06.2007 को प्रकरण संख्या 183/2001 में दिनांक 27.06.2007 को सम्बन्धित कृषि भूमियों को आवासीय में रूपान्तरकरण कर समस्त कार्यवाही करक चुकी है जबकि अपीलार्थी ने सभी तथ्य सन् 2005 को पेश कर न्यायालय को गुमराह कर सारहीन तथ्यों के आधार पर अपील पेश की जो सारहीन है व न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई अपील खारिज करने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अपील से समिति के 400–500 भूखण्डधारी प्रभावित होगें जिन्होने वर्ष 1991–93 में ही समिति से भूखण्डों के आवंटन पत्र रसीदे एवं साईट प्लान प्राप्त कर अपने–अपने भूखण्डो पर वास्तविक कब्जा प्राप्त लिया था एवं निमार्ण कार्य आदि करवा रखे है जबकि अपीलार्थी ने वर्ष 2005 व 2006 में षड़यंत्रपूर्वक काश्तकारों से मिलकर जनजाति का होने को अनुचित लाभ उठाकर समिति के भूखण्डधारियों को हानि पहुँचाने की नीयत से अपने नाम रजिस्ट्रीयॉ करवाकर बेईमानी एवं जालसाजीपूर्वक मिलीभगत से यह कार्यवाही की है, इसलिये भी अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य है। उन्होंने आगे कथन किया है कि दिनांक 23.04.1997 तक के इकरारनामें से सहकारी समितियों द्वारा क्रय की गई कृषि भूमियों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर उक्त दिनांक तक खरीदी गयी सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि जरिये इकरारनामें वैध माना है ऐसे इकरारनामें को राज्य सरकार ने वैध करार दिया है जिससे वर्ष 2005 में अपीलार्थी द्वारा कराये गयी रजिस्ट्रीयॉ शून्य प्रभावी माना जावे एवं वर्ष 1990–91 तक के इकरारनामें जो वि सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि क्रय करने के लिये किये गये है, वो इकरारनामें अपीलार्थी द्वारा जालसाजी से कराई गई रजिस्ट्रीयों से प्रभावित नही होते है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा पेश की गई अपील मे बनाये गये रेस्पोडेन्ट काश्तकारों के खिलाफ न्यायालय ए.सी.जे.एम (जे.डी.) नम्बर 3 जयपुर जिला में एफ.आई.आर. नम्बर 30/07

P.T.O.

पुलिस थाना शिवदासपुरा में धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवाया था जो अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में लम्बित है एवं माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 4 जयपुर जिला जयपुर में संविदा की अनुपालना एवं विक्रय पत्र निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद उनवानी श्री महावीर नगर गृह निमार्ण सहकारी समिति लिमिटेड़ बनाम मूलचन्द व अन्य जिरह के स्टेज पर लम्बित है, धारा 420 आई.पी.सी. का मुकदमा चल रहा है इस प्रकार अपीलार्थी व काश्तकारों ने बेईमानीपूर्वक समिति के सदस्यो के भूखण्ड हड़पने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई है जो की सारहीन व मनगंढन्त तथ्यों के आधार पर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई में सभी रेस्पोडेन्ट जो काश्तकार है जिनमें से एक भी पक्षकार उक्त अपील में अपनी बात कहने के लिये लिऐ काश्तकार भी उपस्थित नही हुये है, सभी अनुपस्थित है इससे भी साफ जाहिर होता है कि अपीलार्थी व काश्तकारों के मध्य आपस में जालसाजी व बेईमानी है जिससे की समिति के भूखण्डधारी सदस्यों के भूखण्ड हड़पने की एक साजिश है जबकि सभी काश्तकार अपील में अपनी उपस्थित देते तो पूरी सच्चाई सामने आ जाती इस प्रकार अपीलार्थी व काश्तकारों की आपस मिलीभगत है इसलिये भी अपील खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने कथन किया है कि अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम की उप धारा 3 के तहत पारित निर्णय है जो कि संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील की क्षेत्राधिकारिता में नही आता है क्योंकि धारा 90बी में ही अपील का प्रावधान दियो गया है जिसमें सिर्फ धारा 90 बी (5) के तहत पारित निर्णय की अपील ही पेश की जा सकती है। उन्होने कथन किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने धारा 90बी का निर्णय पारित करने से पूर्व सभी काश्तकारों से पूछताछ व अखबार मे विज्ञापन जारी कर सभी की आपत्तियों का समाधान करके एवं काश्तकारों की सहमति के आधार पर एवं भूमि का भौतिक सत्यापन करके जयपुर विकास प्राधिकरण ने धारा 90बी का निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुति नही है क्योंकि उक्त निर्णय पारित करने से पहले प्राधिकृत अधिकारी ने समस्त कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए धारा 90बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2007 पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 ने भी अपील के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो आदेश पारित किया है वह सरासर कानून विरूद्ध बिना जॉच किये एवं कुछ मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर ही खारिज योग्य है।

P.T.O.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौके रिपोर्ट संलग्न कर एवं उक्त आराजी को अकृषि कार्य में उपयोग लिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्ट अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट में अंकित खातेदारान की खातेदारी भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग हो चुके खसरा नम्बरान पर से खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान कर भूमि राज्य सरकार में पुर्नग्रहित करने का निवेदन किया गया है जिस पर अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आराजी के रिकार्डेड खातेदारान को नोटिस जारी किये एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी कर आपत्तियॉ मांगी जाने पर दिनांक 30.05.2007 को अपीलार्थीगण की आपत्तिया प्राप्त होने पर उक्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2007 पारित किया गया है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारान द्वारा किये गये इकरारनामें एवं रजिस्ट्रीयॉ बाबत मुख्य रूप से विवाद है जिसका निस्तारण किये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है एवं अपीलाधीन आदेश से पक्षकारान के किसी प्रकार के कोई हक हकूक अधिकार तय नही किये गये है बल्कि अपीलाधीन आदेश द्वारा केवल भूमि के कृषि कार्य से अकृषि कार्य में उपयोग होने कारण धारा 90बी की कार्यवाही की गई है, अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या कोई दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि कार्य में उपयोग ली जा रही हो एवं अपीलाधीन आदेश द्वारा केवल वादग्रस्त आराजी का उपयोग बदला गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2007 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर